भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 61B/2017-18

अमूल्य महतो <u>बनाम</u> राजेन्द्र नाथ महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
11.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 2222 दिनांक 1610.2017 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं0 61B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता अमूल्य महतो, पिता–स्व0 जगन्नाथ महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पुत्री की वैवाहिक खर्च हेतु क्रेता राजेन्द्र नाथ महतो, पिता–स्व0 वनमाली महतो, ग्राम–मुरु, थाना–नीमडीह जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटा गम्हरिया	67	40	711(P)	0.05 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 2.14.58 डी0 जमीन है, जिसमें से 0.05 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.09.58 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला, जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

11/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।